डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार, भारत
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
Department of Divyangjan Empowerment
Government of Uttar Pradesh, India

प्रेषक,

कुलपति
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

सेवा में,

1. **अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0 प्र0** को मा0 अध्यक्ष, सामान्य परिषद, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ के अवलोकनार्थ।
2. **श्री अनिल राजभर,** मा0 मंत्री जी,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश सरकार।
3. **श्री सतीश चन्द्र मिश्रा,** अध्यक्ष, डा0 शकुन्तला मिश्रा स्मृति सेवा संस्थान, लखनऊ।
4. **सुश्री अंजली भावरा,** अध्यक्ष, भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली।
5. **श्री हेमन्त राव,** अपर मुख्य सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0 प्र0 शासन।
6. **श्रीमती एस0 राधा चौहान,** अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन।
7. **श्रीमती मोनिका एस गर्ग,** अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0 प्र0 शासन।
8. **श्री आलोक कुमार,** अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा विभाग, उ0 प्र0 शासन।
9. **प्रो0 संजय सिंह,** कुलपति, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), लखनऊ।
10. **श्री आलोक कुमार,** सचिव, व्यवसायिक शिक्षा विभाग, उ0 प्र0 शासन।
11. **राज्य आयुक्त,** दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ।
12. **डा0 हिमांग्शु दास,** निदेशक, एन0आई0ई0पी0वी0डी0, देहरादून।
13. **डा0 अहमद इकबाल,** निदेशक, एन0आई0एल0डी0, कोलकाता।
14. **डा0 सुनी एम0 मैथ्यू,** निदेशक, ए0वाई0एन0आई0एस0एण्ड एच0डी0, मुम्बई।
15. **मेजर बी0 वी0 रामकुमार,** निदेशक, एन0आई0ई0पी0ई0डी0, सिकन्दराबाद।
16. **श्री अशोक कुमार द्विवेदी,** एडवोकेट, अयोध्या।
17. **डा0 जितेन्द्र कुमार जैन,** चिकित्सक, प्रयागराज।
18. **डॉ0 उत्तम ओझा,** दिव्यांगजन सशक्तीकरण, केन्द्र, कबीर नगर कालोनी, दुर्गा कुण्ड, वाराणसी।

पत्रांकः1093 / फा0सं0–432(पंचम) / डॉ.श.मि.रा.पु.वि. / सामा0परिषद / 2021–22 दिनाँकः 27 सितम्बर, 2021

विषयः– डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की सामान्य परिषद् की सप्तम् बैठक दिनांकः 16 सितम्बर, 2021 के कार्यवृत्त का प्रेषण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया / महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ के मा0 सामान्य परिषद् की सप्तम् बैठक दिनाँक 16 सितम्बर, 2021 के कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न कर सादर प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय,

संलग्नक– यथोपरि।

(प्रो0 आर0 के0 पी0 सिंह)
कुलपति

पृष्ठांकन संख्या व दिनाँक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल / मा0 कुलाध्यक्ष, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि मा0 कुलाध्यक्ष महोदया को अवलोकित कराने का कष्ट करें।

(प्रो0 आर0 के0 पी0 सिंह)
कुलपति

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

के मा0 सामान्य परिषद की

सप्तम् बैठक दिनाँकः 16 सितम्बर, 2021 का कार्यवृत्त

समय–	सायं: 06:00 बजे
स्थान–	मा0 मुख्यमंत्री आवास 5, कालीदास मार्ग, लखनऊ।

उपरोक्त कार्यक्रमानुसार विश्वविद्यालय की सामान्य परिषद की सप्तम् बैठक मा0 अध्यक्ष, सामान्य परिषद/मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति संलग्नक के अनुसार रही।

बैठक में विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

बिन्दु सं0	कार्यवाही
1/7	**मा0 सामान्य परिषद की षष्ठम् बैठक दिनाँकः 20.08.2019 के कार्यवृत्त की पुष्टि।**
	निर्णयः–मा0 सामान्य परिषद द्वारा विचारोपरान्त वस्तुस्थिति से अवगत होते हुए मा0 सामान्य परिषद की षष्ठम् बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
2/7	**मा0 सामान्य परिषद की षष्ठम् बैठक दिनाँकः 20.08.2019 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।**
	निर्णयः–मा0 सामान्य परिषद द्वारा षष्ठम् बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन आख्या से अवगत हुई।
3/7	**माह नवम्बर, 2019 में परिचालन के माध्यम से मा0 सामान्य परिषद् की बैठक में कृत कार्यवाही पर यथावांछित अनुमोदन के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः–विश्वविद्यालय में दिनांक 07 नवम्बर, 2019 को षष्ठम् दीक्षान्त समारोह में पदम् विभूषण जगद्गुरू रामानन्दाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य, कुलाधिपति, जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट, उ0 प्र0 एवं पद्म भूषण श्री देवेन्द्र राज मेहता, संस्थापक एवं मुख्य संरक्षक, भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर, राजस्थान को डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि दिए जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव का पत्र परिचालन के माध्यम से मा0 सामान्य परिषद् सदस्यों से प्रदत्त अनुमोदन पर डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में धारा–12 की उपधारा–(5) में विहित व्यवस्थानुसार कृत कार्यवाही पर मा0 सामान्य परिषद द्वारा औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया।
4/7	**विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों हेतु शुल्क संरचना पर अनुमोदन।**
	निर्णयः–मा0 सामान्य परिषद को अवगत कराया गया कि सामान्य परिषद की षष्ठम् बैठक दिनांक–20.08.2019 के बिन्दु संख्या–8/6 में लिए गए निर्णयानुसार विश्वविद्यालय द्वारा उ0प्र0 के बाहर के दिव्यांग विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास एवं भोजन की सुविधा अनुमन्य कराने तथा स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों यथा–इंजीनियरिंग तथा बी0बी0ए0 के अन्तर्गत अध्ययनरत् दिव्यांग विद्यार्थियों को निःशुल्क भोजन, छात्रावास एवं शिक्षा की सुविधा अनुमन्य कराए जाने की कार्यवाही की जा रही है। विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में निर्धारित शुल्क संरचना हेतु मा0 सामान्य परिषद द्वारा निम्नवत् निर्णय लिए गए:– **(क)** विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित शुल्क संरचना पर वित्त समिति, मा0 विद्या परिषद एवं मा0 कार्य परिषद की संस्तुतियों से अवगत होते हुए सम्यक् विचारोपरान्त मा0 सामान्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया तथा मास्टर्स इन सोशलवर्क (एम0एस0डब्लू) पाठ्यक्रम में भ्रमण शुल्क (टूर फीस) के रूप में दिव्यांग विद्यार्थियों

(प्रो० आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

	से ली जाने वाली धनराशि रू0 2000/– को विश्वविद्यालय स्तर पर "विद्यार्थी कल्याण कोष" से वहन किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। **(ख)** विश्वविद्यालय में भविष्य में शुल्क के पुनर्निधारण व अन्य नवीन पाठ्यक्रम के संचालन/प्रारम्भ करने की स्थिति में शुल्क संरचना के निर्धारण हेतु निम्नानुसार समिति गठित किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया– 1. कुलपति, विश्वविद्यालय — अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग द्वारा नामित अधिकारी (विशेष सचिव से अन्यून न होगा) — सदस्य 3. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नामित अधिकारी (विशेष सचिव से अन्यून न होगा) — सदस्य 4. अपर मुख्य सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा नामित अधिकारी (विशेष सचिव से अन्यून न होगा) — सदस्य 5. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय। — सदस्य सचिव
5/7	**डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ का क्षेत्रीय अध्ययन पीठ खोले जाने के सम्बन्ध में।** **निर्णयः**–मा0 सामान्य परिषद को अवगत कराया गया कि प्रदेश के विभिन्न सुदूर क्षेत्रों के दिव्यांगजन, जो इस विश्वविद्यालय में अध्ययन करने में समर्थ नहीं हैं अथवा किन्हीं कारणों से विश्वविद्यालय तक नहीं पहुँच सकते, उनके हितार्थ विश्वविद्यालय स्तर से 04 क्षेत्रीय अध्ययन पीठ (Study Centre) आगरा, बरेली, गोरखपुर एवं वाराणसी में स्थापित किए जाने की कार्य योजना है, जिसमें दिव्यांगजनों हेतु रोजगारपरक पाठ्यक्रम, दिव्यांगता के क्षेत्र में भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली द्वारा संचालित पाठ्यक्रम, योग, एनिमेशन मल्टीमीडिया डिजाइन पाठ्यक्रम प्रारम्भिक स्तर पर संचालित किए जाएंगे। उक्त केन्द्रों पर होने वाले व्ययभार विद्यार्थियों से प्राप्त शुल्क से व्यवहरण करते हुए विश्वविद्यालय अधिनियम में प्रवेश हेतु वर्णित व्यवस्थानुसार प्रवेश लिया जाएगा। उक्त पीठ का वित्त पोषण, संचालन के आरम्भिक 04 वर्ष तक राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान से किया जाना प्रस्तावित है; इसके उपरान्त इन्हें आर्थिक रूप से स्वपोषण की संकल्पना पर विकसित किया जाएगा। उक्त अध्ययन केन्द्र में कक्षाओं का संचालन उन्हीं केन्द्रों पर संविदा अध्यापकों की तैनाती करके भौतिक रूप से तथा विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षकों/आचार्य के ऑनलाइन के माध्यम से किया जाएगा तथा प्रथम चरण में दो क्षेत्रीय अध्ययन पीठ को गोरखपुर एवं वाराणसी को शैक्षिक सत्र 2022–23 से संचालित किया जाना है। मा0 सामान्य परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श करने पर मा0 मंत्री, दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं मा0 सदस्य, सामान्य परिषद द्वारा संज्ञानित कराया गया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के पास जनपद वाराणसी में अमरावती संस्थान हेतु उपलब्ध भवन एवं भूमि का समुचित प्रयोग अभी सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है, उक्त भवन एवं भूमि का उपयोग प्रस्तावित अध्ययन पीठ के लिए किया जा सकता है। **मा0 सामान्य परिषद के सदस्यगण द्वारा सर्वसम्मति से प्रथम चरण में जनपद वाराणसी में क्षेत्रीय अध्ययन पीठ (ऑफ कैम्पस के रूप में) के संचालन हेतु सहमति प्रदान की गई तथा निर्देश दिए गए कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के निर्देशों व गाइडलाइन्स तथा मानकानुसार उक्त अध्ययन पीठ के स्वरूप एवं संचालन हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।**
6/7	**मा0 सामान्य परिषद की षष्ठम् बैठक के बिन्दु संख्या–3/6 में लिए गये निर्णय के अनुक्रम में विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति की जांच के सम्बन्ध में।** **निर्णयः–(अ)** मा0 सामान्य परिषद को अवगत कराया गया कि "विश्वविद्यालय की मा0 सामान्य परिषद की षष्ठम् बैठक दिनांक 20.08.2019 में बिन्दु संख्या– 03/6 में निर्देशित किया गया था कि विश्वविद्यालय द्वारा मा0 सामान्य परिषद की पंचम आस्थगित बैठक की पुनर्आहूत बैठक दिनाँक 25.01.2019 में बिन्दु संख्या–3/5 में लिए गए निर्णयों पर समयबद्ध प्रभावी कार्यवाही/अनुपालन करते हुए मा0 कार्य परिषद के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाए तथा कृत

कुलसचिव
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

कार्यवाही से मा0 सामान्य परिषद की अगली बैठक में अवगत कराया जाए।''

मा0 सामान्य परिषद के उक्त निर्णय एवं निर्देश से संज्ञानित होते हुए मा0 कार्य परिषद की 26वीं बैठक दिनांक 11.09.2019 द्वारा विश्वविद्यालय स्तर पर जो तकनीकी, प्रशासकीय व वित्तीय अनियमितता स्थापित हुई हैं, उन पर प्राप्त विधिक परामर्श के क्रम में निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

01 विश्वविद्यालय में तत्कालीन कार्य विरत कुलपति डॉ0 निशीथ राय पर संस्थित जांच के अन्तर्गत आच्छादित/सम्बन्धित शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक पदों की नियुक्तियों पर, केस–टू–केस सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए शीघ्रातिशीघ्र अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इस सम्बन्ध में यदि किसी विशेष बिन्दु पर आवश्यक हो तो विधिक परामर्श प्राप्त करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जाए, तथा प्रकरण में केस–टू–केस सुनवाई किए जाने हेतु कुलपति, विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में 03 सदस्यीय समिति गठित की गई तथा समिति से यह अपेक्षा की गई कि आगामी 02 माह में प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए आख्या/संस्तुति मा0 कार्य परिषद के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत करेगी।

02 विश्वविद्यालय में तत्कालीन कार्य विरत कुलपति डॉ0 निशीथ राय के सन्दर्भ में उपर्युक्त विधिक परामर्श के बिन्दु संख्या–8 में उल्लिखित विषयवस्तु पर मा0 सामान्य परिषद द्वारा प्रदत्त निर्देश का वित्तीय नियमों के अन्तर्गत परीक्षण करते हुए विश्वविद्यालय स्तर पर तत्काल निस्तारण कराया जाए।

अतः मा0 कार्य परिषद की 26वीं बैठक में बिन्दु सं0–4/26 के बिन्दु संख्या–1 में विश्वविद्यालय में तत्कालीन कार्य विरत कुलपति डॉ0 निशीथ राय पर संस्थित जांच के अन्तर्गत आच्छादित/सम्बन्धित शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक पदों की नियुक्तियों पर, केस–टू–केस सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध में कुलपति, विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के पत्रांकः 1510/2019–20, दिनांक 10.10.2019 द्वारा प्रो0 अभय कुमार जैन, सेवानिवृत्त आचार्य, डॉ0 दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर एवं प्रो0 असीम कुमार मुखर्जी, सदस्य, मा0 कार्य परिषद, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ को सदस्य के रूप में नामित करते हुए समिति का गठन किया गया।

उक्त समिति द्वारा शैक्षिक संवर्ग की नियुक्ति से सम्बन्धित विषयों पर विभिन्न तिथियों में केस–टू–केस सुनवाई करते हुए अपनी जांच आख्या उपलब्ध कराई गई, जिसकी संक्षिप्त आख्या इस प्रकार है, जिसका अवलोकन मा0 सामान्य परिषद के सम्मानित सदस्यों द्वारा किया गया।

- प्रदेश सरकार द्वारा तत्समय निर्धारित आरक्षण के नियमों का सुसंगत तरीक से पालन नहीं किया गया।
- नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन इत्यादि प्रपत्रों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आरक्षण सम्बन्धी रोस्टर हेतु विहित नियमों/दिशा–निर्देशों का अनुपालन नियमानुसार नहीं किया गया है।
- विश्वविद्यालय में शैक्षिक संवर्ग की नियुक्ति हेतु कुलाध्यक्ष के स्तर से बाह्य विषय विशेषज्ञों का पैनल अनुमोदित नहीं कराया गया था; पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तत्कालीन कुलपति द्वारा किसी भी प्रकार का पैनल विश्वविद्यालय के मा0 कुलाध्यक्ष से अनुमोदित नहीं कराया गया, जो कि चयन प्रक्रिया की एक गम्भीर प्रशासनिक त्रुटि है। पत्रावलियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि मा0 कुलाध्यक्ष से पैनल अनुमोदन सम्बन्धी किसी भी प्रकार के प्रपत्र/साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं।
- कुछेक अभ्यर्थियों के आवश्यक ए0पी0आई अंक पूर्ण न होने पर भी विश्वविद्यालय प्रशासन एवं चयन समिति ने प्राविधानित नियमों के प्रतिकूल स्वविवेक के आधार पर चयन समिति

(प्रो0 आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

के सम्मुख प्रस्तुत होने की संस्तुति कर दी तथा सम्बन्धित अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी गई।

- कुछेक अभ्यर्थियों की साक्षात्कार के समय अर्हता अवधि पूर्ण न होने पर भी सम्बन्धित चयन समितियों ने स्वविवेक के आधार पर विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु संस्तुति प्रदान की गई।
- तत्समय आहूत मा0 कार्य परिषद की बैठक द्वारा सभी चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्ति हेतु अनुमोदन भी कर दिया गया।
- नियुक्त किए गए कुछेक शिक्षकवृन्द के अन्तिम वेतन प्रमाण–पत्र/रिलीविंग/सर्विस बुक/अनुभव प्रमाण–पत्र इत्यादि उनके व्यक्तिगत पत्रावली में उपलब्ध नहीं पाए गए।

मा0 सामान्य परिषद द्वारा डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में तत्कालीन कार्यविरत कुलपति डॉ0 निशीथ राय पर संस्थित जांच के अन्तर्गत आच्छादित/सम्बन्धित शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक पदों की नियुक्तियों पर विश्वविद्यालय स्तर पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए निर्णय न लिए जाने तथा केस–टू–केस सुनवाई हेतु गठित समिति की जाँच आख्या की तकनीकी कमियों (चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी के सन्दर्भ में पृथक–पृथक संस्तुतियों को उपलब्ध न कराया जाना) पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए निर्देशित किया कि विश्वविद्यालय स्तर पर डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 एवं तत्सम्बन्धी परिनियमावली, 2009 तथा अन्य सुसंगत नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए प्रकरण पर 02 माह के अन्तर्गत निर्णय लेते हुए कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए परिषद को अवगत कराया जाए।

(ब) मा0 सामान्य परिषद द्वारा डॉ0 निशीथ राय, तत्कालीन कुलपति द्वारा दिनांक 05 से 09 अक्टूबर, 2015 तक जर्मनी में आयोजित कुलपति सम्मेलन में विदेश यात्रा पर राज्य सरकार के दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग–3, उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–41/2015/डी0एस0–112/65–3–2015–10(वि0वि0)/2015, दिनांक 30 सितम्बर, 2015 द्वारा दिये गये दिशा–निर्देश के विपरीत जर्मनी की यात्रा के व्यय का भुगतान स्वयं न करते हुए विश्वविद्यालय से किए जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय स्तर से किए गए वसूली सम्बन्धी पत्राचार तथा तत्क्रम में डॉ0 राय द्वारा दिए गए प्रतिउत्तर को अवलोकित करते हुए मा0 सामान्य परिषद द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा अनुदानित है, ऐसी स्थिति डॉ0 निशीथ राय, तत्कालीन कुलपति से उक्त धनराशि को विश्वविद्यालय में जमा कराए जाने अथवा, ऐसा न होने पर उनसे वसूली हेतु कार्यवाही की जाए।

(स) तत्कालीन कुलपति डॉ0 निशीथ राय की जन्म तिथि 01.10.1963 के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा किये गये पत्राचार के सम्बन्ध में कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा अपने पत्र दिनांक 03.07.2020 में उल्लिखित विधिक परामर्श एवं तथ्यों में यह उल्लेख किया गया कि पत्र संख्या वी0सी0 2103 दिनांक 25.11.2014 द्वारा कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डॉ0 निशीथ राय का धारणाधिकार प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रोफेसर के पद से तत्काल समाप्त कर दिया गया; ऐसी स्थिति में धारणाधिकार समाप्त होने के कारण चूंकि अनुशासन समिति डॉ0 निशीथ राय, तत्कालीन कुलपति, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ के कार्यकाल के समय की है, अतएव लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डॉ0 निशीथ राय के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराना निदेशक विधिक प्रकोष्ठ एवं विश्वविद्यालय अधिवक्ता की राय के अनुसार अपेक्षित नहीं है, उक्त से मा0 सामान्य परिषद संज्ञानित हुई। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है डॉ0 निशीथ राय, पूर्व कुलपति की जन्म तिथि 01.10.1963 का प्रयोग उनकी पूर्व नियुक्ति अर्थात् लखनऊ विश्वविद्यालय,

(डॉ0 आर0के0पी0 सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

	लखनऊ के कार्यालय में की गई है जैसा कि कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा अपने पत्र दिनांक 03.07.2020 में उल्लिखित किया गया है, जबकि डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ में वर्ष 2014 में कुलपति के रूप में राज्य सरकार द्वारा 05 वर्ष के लिए ही नियुक्ति किया गया था, जिसका कार्यकाल जनवरी, 2019 में पूर्ण हो चुका है। **अतः मा0 सामान्य परिषद द्वारा उक्त प्रकरण पर सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि लखनऊ विश्वविद्यालय को पुनः समस्त तथ्यों से संज्ञानित कराते हुए समयबद्ध विधिक कार्यवाही किए जाने हेतु अवगत करा दिया जाए।**
7/7	**विश्वविद्यालय में पूर्व शैक्षणिक सत्रों में पी0एच0–डी0 कार्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थियों के प्रकरण पर जांच के सम्बन्ध में।** निर्णयः–**(क)** विश्वविद्यालय में पी0एच–डी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व शैक्षणिक सत्रों में प्रवेश प्रक्रिया की जांच हेतु मा0 कार्य परिषद द्वारा गठित जांच समितियों की जांच आख्या में उल्लिखित अनियमितताओं का अवलोकन करते हुए मा0 सामान्य परिषद द्वारा निर्देशित किया गया कि विश्वविद्यालय में पी0एच–डी0 कार्यक्रम में पूर्व शैक्षणिक सत्रों की प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितताओं हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए विश्वविद्यालय स्तर पर समयबद्ध कार्यवाही पूर्ण की जाए। **(ख)** मा0 सामान्य परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में पूर्व शैक्षणिक सत्रों में पी0एच0–डी0 कार्यक्रम में प्रवेशित अर्ह/पात्र शोधार्थियों के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के पी0एच0–डी0 अध्यादेश, 2018 में विहित व्यवस्था के अनुरूप नियमानुसार कार्यवाही की जाए।
8/7	**विश्वविद्यालय के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं के संचालन हेतु नियमावली का अनुमोदन।** निर्णयः–मा0 सामान्य परिषद द्वारा डॉ0 शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की संगत धाराओं के प्रावधानों के अनुसार डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में परीक्षाओं के सुगम संचालन हेतु डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय परीक्षा विनियमन–2020 पर विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति एवं मा0 विद्या परिषद की संस्तुतियों तथा मा0 कार्य परिषद के अनुमोदन के अनुसार परीक्षा विनियमन–2020 को अनुमोदित किया गया।
9/7	**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमन, 2018 को डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय की परिनियमावली में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।** निर्णयः–विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2018 एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग–3, उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–I–43620/2021/2020/ 65–3001(001)/1/2019, दिनांक 07.01.2021 के क्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम् अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा के मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय सम्बन्धी) विनियम, 2018 को डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में सृजित शिक्षकों के पदों पर लागू किए जाने एवं परिनियमावली में सम्मिलित किए जाने हेतु मा0 सामान्य परिषद द्वारा यथावांछित अनुमोदन प्रदान किया गया।
10/7	**वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 की वार्षिक रिपोर्ट का अवलोकन।** निर्णयः–**(क)** मा0 सामान्य परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के आय–व्ययक सम्बन्धी वित्तीय वर्ष 2018–19 से वित्तीय वर्ष 2019–20 तक के तुलनपत्र का अवलोकन करते हुए यथावांछित अनुमोदन प्रदान किया गया।

(प्रो० [illegible] सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

	(ख) डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की शैक्षणिक सत्र 2019–20 एवं 2020–21 में सम्पन्न भौतिक क्रिया, शिक्षण एवं प्रशिक्षण आदि की प्रगति आख्या का मा0 सामान्य परिषद के सदस्यगण द्वारा अवलोकन किया गया।
11/7	**शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु साक्षात्कार में पारदर्शिता के सम्बन्ध में राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत आदेश संख्या–ई–3019/32– जी0एस0/2020, दिनांक 18 मई, 2021, आदेश संख्या– ई–4229/जी0एस0, दिनांकः 02 जुलाई, 2021 एवं ई–5862/जी0एस0, दिनांक 03 सितम्बर, 2021 से मा0 सामान्य परिषद को संज्ञानित कराने एवं अग्रिम दिशा–निर्देश प्रदान करने के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः–मा0 सामान्य परिषद राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश द्वारा समय–समय पर शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु साक्षात्कार में पारदर्शिता के सम्बन्ध में निर्गत दिशा–निर्देशों से संज्ञानित हुई तथा सम्यक् विचारोपरान्त विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों पर निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन किए जाने पर मा0 सामान्य परिषद द्वारा यथावांछित अनुमोदन प्रदान करते हुए निम्न निर्देश दिए गए – • प्राथमिकता के आधार पर पूर्व से क्रियाशील विभागों में रिक्त शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया सम्पन्न की जाए। • अनुपयोगी विभागों एवं अनुपयोगी पदों को चिन्हित कर उनके प्रत्यावर्तन किए जाने तथा दिव्यांगता के क्षेत्र से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों के संचालन को वरीयता दी जाए।
12/7	**डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ के लोगो (Logo) के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः–डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ हेतु प्रस्तुत "**लोगो**" (Logo) का अवलोकन करते हुए मा0 अध्यक्ष, सामान्य परिषद् द्वारा निर्देशित किया गया कि विश्वविद्यालय का सृजनात्मक "**लोगो**" विकसित किए ज़ाने के उद्देश्य से एक खुली प्रतियोगिता का आयोजन करते हुए विश्वविद्यालय हेतु सर्वश्रेष्ठ लोगो का चयन किया जाए।
13/7	**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।**
(1)	**विश्वविद्यालय में समूह–ग श्रेणी के गैर–शैक्षिक पदों की रिक्तियों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में।**
	मा0 सामान्य परिषद के सदस्यगण को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में विगत 10 वर्षों से अधिक समय से समूह–ग के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के लिपिकीय संवर्ग में नियमित पदों पर मात्र 22 वरिष्ठ सहायक एवं 05 कनिष्ठ सहायक ही कार्यरत हैं। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक दायित्वों, शैक्षिक अनुभागों, विभागों, परीक्षा अनुभाग, अधिष्ठाता कार्यालयों आदि के साथ–साथ महिला एवं पुरूष छात्रावास का संचालन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के विभिन्न 21 विभागों में संचालित पाठ्यक्रमों में 5000 से अधिक दिव्यांग एवं सामान्य विद्यार्थी अध्ययनरत् हैं। दिव्यांगों से जुड़े होने के कारण लिपिकीय संवर्ग के कार्मिकों की अल्पता के कारण प्रशासनिक कार्यों के सम्पादन में कठिनाई उत्पन्न होती है तथा गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में उ0 प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्ती हेतु अधियाचन प्रेषित किया गया, परन्तु वर्तमान तक किसी प्रकार की कोई भर्ती नहीं हो पायी है, जिसके कारण विश्वविद्यालय में यथापेक्षित गतिशीलता नहीं हो आ रही है। इस सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा में अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मा0 सामान्य परिषद को संज्ञानित कराया गया कि मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ, लखनऊ द्वारा स्वायत्तशाषी संस्थाओं (विश्वविद्यालय) में समूह–ग श्रेणी पदों की भर्ती के सन्दर्भ में आदेश पारित किया गया है। **निर्णयः–विश्वविद्यालय में समूह–ग श्रेणी के गैर–शैक्षिक पदों की रिक्तियों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रस्तुत तथ्यों से अवगत होते हुए मा0 सामान्य परिषद द्वारा निर्देशित किया गया कि उ0 प्र0 शासन से समूह–ग श्रेणी के पदों को भरे जाने हेतु अनुमति प्राप्त करते हुए यथावश्यक कार्यवाही किया जाए।**

अन्य किसी बिन्दु के अभाव में बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन सहित बैठक समाप्त की गयी।

(प्रो0 आर0 के0 पी0 सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ